ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

सीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

स्व प्रार्थना पत्र संख्या : 40/2007

CMS NO. : 2007/00079

–:: प्रार्थी ::–

1. मंदिर श्री नाथद्वारा की ओर से मुख्य निष्पादन अधिकारी नाथद्वारा मंदिर मण्डल नाथद्वारा जिला राजसमंद जरिए पावर ऑफ एटोरनी होल्डर श्री महेशचन्द्र पुत्र मदनलाल जी व्यास निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. जूनी पत्नी हापू राईका
2. जोगाराम पुत्र हापू राईका
3. गंगाराम पुत्र हापू राईका
4. नारायणलाल पुत्र हापू राईका
5. गेपरराम फौत के का.म.
   - 5.1 सुजाराम पुत्र गेपरराम राईका
   - 5.2 करणाराम पुत्र गेपरराम राईका
   - 5.3 गोरधन पुत्र गेपरराम राईका
   - 5.4 गायडराम पुत्र गेपरराम राईका
6. कानाराम पुत्र मिश्रू राईका
7. तेजाराम पुत्र मिश्रू राईका
8. फुली बेवा मिश्रू राईका
9. अनिल पुत्र द्वारकाप्रसाद जाट
10. जुगलकिशोर पुत्र अम्बालाल सोनी
11. पानकी बेवा बाबुदास साद
12. गोपालदास पुत्र बाबुदास साद
13. ईश्वरदास पुत्र बाबुदास साद
14. रमेश पुत्र बाबुदास साद
15. सुरेश पुत्र बाबुदास साद
16. विमला देवी पुत्री बाबुदास साद
17. रूकमा देवी पुत्री बाबुदास साद
    निवासी सभी रामावास कलां
18. दिनेश कुमार पुत्र सुगनलाल ब्राह्मण निवासी रास
19. मालाराम पुत्र कालुराम मेघवाल निवासी लौटोती
20. कानाराम पुत्र हरीराम मेघवाल लौटोती
21. समलादेवी पत्नी माधुरमा कुमावत निवासी रामावासकलां
22. मिश्रलाल पुत्र हापूराम मेघवाल निवासी सांगावास
23. जीवाराम पुत्र हरजीराम मेघवाल निवासी बाली
24. रतनलाल पुत्र बालुराम मेघवाल
25. अमृतलाल पुत्र गुलाबचंद टांक निवासी निम्बोल हाल जैतारण
26. उंकारराम पुत्र गुलाबचंद टाक निवासी निम्बोल हाल जैतारण
27. पदमचंद पुत्र सुवालाल ओसवाल
28. गणपति बाई पत्नी सुवालाल ओसवाल
29. भुरालाल पुत्र अम्बालाल सोन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं

30. अम्बालाल फौत के का.मु.
30.1 राजेन्द्रकुमार पुत्र अम्बालाल
30.2 हेमराज पुत्र अम्बालाल सोनी निवासी जैतारण
31. गजानंद पुत्र रामेश्वरलाल ब्राह्मण
32. रामेश्वरलाल फौत के का.मु.
32.1 श्यामलाल पुत्र रामेश्वरलाल
32.2 लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वरलाल
32.3 सुरजदेवी बेवा रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी जैतारण
33. कालू पुत्र बींजा
34. बस्तीराम पुत्र बींजा
35. गेपरराम पुत्र बींजा
36. घेवरराम पुत्र बींजा
37. सुगनलाल पुत्र बींजा
38. सुगनबाई बेवा बींजा जातियान कुमावत निवासी जैतारण
39. तहसीलदार जैतारण
40. अधिशाषी अधिकारी जैतारण
41. ललीता पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति माहेश्वरी निवासी जैतारण

स्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी ानियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 व धारा 151 सी.पी.सी. एवं ाना पत्र बाबत् रिसीवरी अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ठित आदेश 40 नियम 01 सी.पी.सी. तारीख रजूः 02/04/2007 एवं 12.06.2007

स्थितः. 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री देवाराम कटारिया, श्री सुरेश चौधरी, श्री भगवतीप्रसाद पटेल, श्री बचनाराम पन्नू, श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 31/05/2022

वकील मय प्रार्थी ने दो प्रार्थना पत्र क्रमशः बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत ारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 02.04.2007 एवं प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवरी अन्तर्गत ारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 40 नियम 01 सी.पी. सी. दिनांक 12.06.2007 प्रस्तुत किए जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है– यह कि प्रार्थी ने विपक्षी गण के विरुद्ध एक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आप न्यायालय में पेश कर दिया है, जिसके निर्णय में समय लगेगा एवं उसमें प्रार्थी को जीतने की पूरी आशा है। मौजा जैतारण, तहसील जैतारण [illegible] आराजी नम्बर 29 रकबा साढे नौ बीघा चार बिस्वा आराजी नम्बर 473 रकबा 1 [illegible] आराजी नम्बर 474 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर [illegible] 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 476 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 477 रकबा 8 [illegible] बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 478 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 479 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 480 रकबा6 बीघा 18 बिस्वा आराजी नम्बर 28 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 239 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। ऊपर कलम नम्बर दो में वर्णित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला पाली

क खसरा नम्बर 10, 10/1, 13 एवं 13/1 होकर कुल रकबा 273 बीघा नौ था तथा उक्त भूमि का मालिक काबिज प्रार्थी है तथा यह भूमि मन्दिर नाथद्वारा की की दर्ज थी व कब्जेधारी का नाम विपक्षी गण के पूर्वजों का चला आ रहा था। नाथद्वारा की डोली की जमीन होने से यह जमीन किसी अन्य के खातेदारी की हो सकती थी, इस जमीन का मालिक काबिज व खातेदार डोली मन्दिर श्रीनाथद्वारा व विपक्षी गण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। वो तो केवल मन्दिर की ओर से करते थे। मन्दिर शाश्वत नाबालिग है तथा मन्दिर की तरफ से जो कोई व्यक्ति करता है वह मन्दिर द्वारा ही काश्त करना माना जायेगा। कथित मन्दिर का नाम में सम्वत 2030 तक लगातार चला आ रहा है तथा कथित राजस्व रेकर्ड में डोली नाम खातेदारी दर्ज थी व काश्तकार के नाम में विपक्षी गण का नाम दर्ज था। हांसिल लेक ही मन्दिर था तथा कथित जमीन मन्दिर के खातेदारी की थी तथा विपक्षी गण कथित जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं था। मन्दिर की जमीन का काश्तकार को रहन ीस आदि का कोई अधिकार नहीं है। मन्दिर की जमीन का मालिक, काबिज हमेशा न्दिर ही रहता है। मन्दिर की जमीन का न तो बेंचान हो सकता है न ही मन्दिर की मीन का वारीसान के हिसाब से म्युटेशन ही खुल सकता है, इस कारण जो भी बेचान ए हैं या वारीसान के हिसाब से म्युटेशन खुले हैं, वह ऐब इनिसीयोवोईड होकर बिना अधिकार के हैं। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग होने से उसकी जमीन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई हक व अधिकार नहीं मिलते हैं व विपक्षीगण ने उक्त जमीन को बिना किसी आदेश के राजस्व कर्मचारियों से मिल– मिलाकर अपने खाते दर्ज करवा ली है, जबकि उक्त जमीन मन्दिर के खुद काश्त की है तथा इस जमीन के सम्बन्ध में विपक्षी–गण या उनके विक्रेता या उनके पूर्वजों को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं था। ऐसी जमीन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। यहां तक कि जो कोई व्यक्ति उक्त जमीन पर काश्त करना कहता है यह काश्त मन्दिर की तरफ से ही की हुई मानी जायेगी, क्योंकि यह मन्दिर की खुद काश्त की भूमि है तथा जो खेती करते हैं वह केवल जैली है तथा जैली काश्तकार को किसी प्रकार का ट्रान्सफरेबल व इन हेरीटेबल का अधिकार नहीं होता था। उक्त जमीन सम्वत 2007 व 2008 की जमाबन्दी में मन्दिर के ही खाते दर्ज थी तथा विपक्षी गण केवल काश्तकार थे। तफसील काबिज में भी मन्दिर का ही नाम दर्ज था तथा मन्दिर ही कथित जमीन का मालिक व काबिज काश्तकार था। पटवारी साहब ने विपक्षीगण से मिलीभगत कर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विपक्षी गण का नाम खातेदारी की हैसियत से दर्ज कर दिया गया जैसा कि चालू जमाबन्दी से स्पष्ट है, उसमें मन्दिर श्रीनाथ जी की इन्द्राज हटाई जाकर कथित जमीन विपक्षी गण के खाते दर्ज कर दी गई है, जो ऐब इनिसीयोवोईड होकर बिना अधिकार के है व कानूनन इन इन्द्राजात को देखा ही नहीं जा सकता है। कानूनन सम्वत 2010 [illegible] बाद मन्दिर की खाते की भूमि पर किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्तियों को खातेदारी [illegible]कार नहीं मिलते है, इस कारण जो भी खातेदारी अधिकार राजस्व कर्मचारियों ने विपक्षीगण से मिलकर दिये वह नल एण्ड वोईड है तथा इसके आधार पर विपक्षीगण को किसी [illegible]कार के राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट प्राप्त नहीं होता है। गलत म्युटेशन से व गलत इन्द्राज हो जाने से विपक्षी गण को किसी प्रकार का कोई राईट टाईटल व इन्टरेस्ट नहीं मिलता है व विपक्षी गण को उक्त भूमि को ट्रान्सफर करने या आबादी में कन्वर्ड कराने या प्लोट आदि काटने का किसीसुन प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण [illegible]

व अधिकार नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो वह चाईह है। विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है कि वो मीन या उसके किसी भाग को किसी भी अन्य व्यक्ति को ट्रान्सफर नही करें न ही मीन को आबादी में परिवर्तन करावें न किस्म जमीन बदले न ही उक्त जमीन पर टें न ही उक्त जमीन या उसके किसी भाग को काश्त के अलावा काम में लेवें। वपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा नहीं रोका गया तो विपक्षी गण यह सब कृ र देगें। इससे प्रार्थी को बड़ा भारी नुकसान होगा, जिसका ऐवाना नकदी में नहीं जा सकेगा एवं होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी तथा मुकदमें बढ़ेगी राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हो जाने से विपक्षीगण को कोई हक व ार नहीं मिलते हैं व प्रार्थी को कथित जमीन पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज कराने यह घोषणा का वाद पेश करना आवश्यक हो जाने से घोषणा का बाद पेश किया जा है। विपक्षी संख्या 39 लैण्ड होल्डर होने से उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई ता नहीं चाही गई है, परन्तु उसे केवल परफोर्मा विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थी लिग होने से उसकी रक्षा करने का दायित्व प्रत्येक मन्दिर को मानने वाले व्यक्ति का था साथ ही विपक्षी संख्या 39 सरकार का भी दायित्व होने से उसके परफोर्मा क्षी बनाया गया है। विपक्षीगण का नाम खाते से हटाया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना आवश्यक होने से ही यह णा का वाद पेश किया जा रहा है। उक्त जमीन देवता की होने से तथा वह नाबालिग से एवं इस बात का ज्ञान प्रार्थी को होते ही यह घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का प्राईमा फेसाई केस है। वह कथित जमीन का लिक व काबिज है। मन्दिर मूर्ति नाबालिग है तथा मन्दिर मूर्ति की ओर से जो भी श्त की जाती है वह मन्दिर मूर्ति के द्वारा ही की हुई मानी जायेगी, इस कारण विपक्षी ण को कथित जमीन के सम्बन्ध में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा उन्हें थित जायदाद को ट्रान्सफर करने व प्लोट आदि काटने या किस्म जमीन परिवर्तन करने ा कोई हक व अधिकार नहीं है, क्योंकि मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है व मन्दिर मूर्ति की जमीन के सम्बन्ध में किसी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। बेलेन्स ऑफ कन्वीनियंस भी प्रार्थी के हक में है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो विपक्षीगण कथित जमीन को अन्य को हस्तान्तरण कर देगें या किस्म जमीन बदल देगें या प्लोट काट कर बेच देगें तथा प्रार्थी को बड़ा भारी नुकसान होगा, जिसका ऐवजाना नकदी में नहीं आंका जा सकेगा एवं होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी तथा मुकदमे बाजी बढ़ेगी। अशोधनीय हानि का बिन्दू भी प्रार्थी के हक में है। अतः प्रार्थना है कि ता-फैसला वाद प्रार्थी के हक में व विपक्षी गण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर दो में वर्णित जमीन को विपक्षी-गण किसी अन्य को रहन बेह [illegible] आदि न स्वयं करें न किसी अन्य से करावे तथा उक्त जमीन को [illegible] न किसी अन्य से करावें व उक्त जमीन के प्लोट नहीं क[illegible] प्रकार का कोई निर्माण कार्य न स्वयं करें न किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

यह कि विपक्षीगण ने कथित जमीन उनके नाम खातेदारी में दर्ज हो जाने से अपनी कहना शुरू कर दिया है। तथा देवता की ओर से जो कब्जा है उसे नही मानकर अपनी ओर से कब्जा करना शुरू कर दिया है जबकि प्रार्थी अपना कब्जा कह रहा है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

त जमीन को दुसरो को काश्त पर देना चाहता है जिस पर यह विवाद करने लग तथा प्रार्थी अपना कब्जा बताता है तथा विपक्षीगण अपना कब्जा बताता है। इस यह प्रोपर्टी इनमिडियो है तथा ऐसे मामले में केवल मात्र रिसीवर ही कायम किया आवश्यक है। ताकि मंदिर के हितो की रक्षा हो सके। विपक्षीगण जमीन को नष्ट तू तुले हुए है तथा निर्माण कार्य भी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी नाबालिग के की रक्षा केवल रिसीवर नियुक्त करने से ही हो सकती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी कथित जमीन के कानूनी खातेदार होकर नाबालिग है, गलत रूप से खाते में दर्ज है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है तथा र अपॉईन्ट नही करने से प्रार्थी को बड़ा भारी नुकसान होगा जिसका एवजाना नकदी ही आंका जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद त पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित जमीन के संदर्भ में तहसीलदार जैतारण को वर मुकर्रर करवाया जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब गया। गैरसायल संख्या 1 से 20, 22, 23, 25, 27 से 30, 33 से 38, 40 41 द्वारा वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायल संख्या 21, 24, 26, से 32 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। गैरसायल संख्या 33 से 38 द्वारा तो प्रार्थना पत्रो का जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है- यह कि र्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्यों से इन्कारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद ख्या 2 में वर्णित तथ्य दिये गये है जो पुराने खसरान के नम्बर दिये गये हैं। सायल पुख्ता सबूत लिया जाये कि सायलगण वादग्रस्त भूमि का मालिक काबिज नहीं है, रसायलान के पूर्व एवं पूर्व मालिक का कब्जा बतौर खातेदार के रूप में बहा था रहा । तथाकथित डोली रिज्यूम होकर डोली सरकार में निहित हो चुकी थी। रोष उक्त पद में लित होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या में वर्णित तथ्य गलत है। सायल वादग्रस्त भूमि का मालिक काविज खातेदार नहीं था और गैरसायलान के पूर्वज व पूर्व मालिक राजस्थान जमदारी, विश्वेदारी, एम्बोलेशन एक्ट एवं माफी रिज्यूमसन एक्ट के प्रावधानों के आगमन के बाद खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये हैं गलत व असत्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या में वर्णित तथ्य वादग्रस्त भूमि मंदिर की खातेदारी की नहीं थी। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये गलत व असत्य है अतः स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये वे बिल्कुल गलत व असत्य है जो स्वीकार नहीं है। मंदिर किसी कानून के तहत् शाश्वत नाबालित नहीं है। गैरसायलान पर जो राज्य कर्मचारियों से मिलकर उनके हक में जो खातेदारी दर्ज कराने का आरोप लगाया वह बिल्कुल [illegible] आधारहीन है। किस कर्मचारी से कब, कहां किस तारीख, वर्ष सम्वत् [illegible] उसका कोई विवरण नहीं दिया गया है, वादग्रस्त भूमि सा[illegible] मंदिर के न [illegible] बतौर खुदकाश्त दर्ज नहीं हुई न ही खुदकाश्त थी। गैरसायलान 33 से 38 के पूर्वज [illegible] के पूर्व मालिक बतौर काश्तकार काबिज थे इसलिए इन्हें खातेदारी अधिकार हासिल हुए। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 8 में वर्णित तथ्य बिल्कुल गलत व असत्य है। अतः स्वीकार नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि सायल मंदिर की न तो खुदकाश्त भूमि रही है ही उनका इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

खाते में दर्ज हुआ। जिस प्रकार से मंदिर की खुदकाश्त भूमि थी तो उसका आधार सायल ने वादपत्र में नहीं बताया है और जो इन भूमि के काश्तकार को श्तकार होना बताया वह भी बिल्कुल असत्य है, जो रेवेन्यू रिकार्ड वादग्रस्त भूमि ायलान खातेदार है उनको किसी भी जमाबंदी में सायल मंदिर का जेली अंकित ्या गया है इसलिए सायलगण ने सभी तथ्य गलत व असत्य जानते हुए लिखाये र्थना पत्र के पद संख्या 9 में वर्णित तथ्य बिल्कुल गलत व असत्य है। संवत् , 2008 की जमाबंदी प्रथम अव्वल तो इस दावे के गैरसायलान 33 से लगाकर ाश्तकार भी नहीं थे बल्कि गैरसायल संख्या 33 से 38 में से अधिकांश का तो ही नहीं हुआ तथा उनमे से एक दो नाबालिग थे इसलिए काश्तकार हो ही नहीं थे और न उनके नाम बतौर काश्तकार उस जमाबंदी में ही दर्ज है एवं संवत् 7-08 की जमाबंदी के इन्द्राज का इस प्रकरण के निर्धारण के लिए कोई महत्व रखते हैं। इसलिए कथित मंदिर को जमीन का मालिक काबिज काश्तकार कहना ा बेमानी है। अतः शेष पद में तथ्य झूठे व मनगढ्त है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या में वर्णित तथ्य सर्वथा पूर्व तथ्यों का रिपिटेशन मात्र है। किस पटवारी से गैरसायलान मिलिभगत की है उसका क्रमशः नाम, तारीख, वर्ष नहीं बताया है। इसलिए यह ाप अपूर्ण है। जबकि गैरसायलान के नाम बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ बतौर खातेदार दर्ज है। इसलिए उक्त इन्द्राज किसी प्रकार से ऐब इनिसीयोवोईड नहीं है एवं विना धिकार क्षेत्राधिकार के भी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 11 में वर्णित तथ्य ल्कुल गलत व असत्य है अतः स्वीकार नहीं है। इस पद में वर्णित तथ्य कौन से नून के तहत् बताये गये है। इस कानून का नाम तथा उसकी धारा भी नहीं बताई यी तथा शेष तथ्य पूर्व तथ्यों का दोहरान मात्र है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 12 में र्णित तथ्य गलत व असत्य है। कौनसी तारीख व साल संवत का म्यूटेशन गलत व अतः वीकार नहीं गैर कानूनी है उसके गलत होने के क्या कारण है उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि गैरसायलान 33 से लगाकर 38 को उनकी खातेदारी की जमीनों को हस्तांतरण करने कन्वरेशन व प्लॉट आदि काटने का पूर्ण अधिकार है और उनके द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्यवाही अवैध प्रभाव शून्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 13 में वर्णित तथ्य बिल्कुल गलत व असत्य है। अतः स्वीकार नहीं है तथा गैरसायलान के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 14 में वर्णित तथ्य गलत व असत्य है अतः स्वीकार नहीं है और तथ्यों का बार-बार दोहरान मात्र है और सायल किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्य 15 में वर्णित तथ्य गलत व असत्य है अतः स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 16 में वर्णित तथ्य गलत व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 17 में वर्णित तथ्य गलत व असत्य है। प्रार्थना पत्र के पदसंख्या 18 में वर्णित तथ्य गलत व असत्य होने से अस्वीकार है। [illegible] पत्र के पद संख्या 19 में वर्णित तथ्य भी गलत व असत्य [illegible] तारीख पर कोई वादकरण उत्पन्न नहीं हुआ है न ही [illegible] सायलान संख्या 33 से लगाकर 38 का प्राईमा फेसाई केस है। उक्त विवादित जमीन का खुदकाश्त मालिक व काबिज तथा उक्त भूमि में गैरसायलान का खातेदारी अधिकार वक्त सेटलमेंअ से हासिल हक अधिकार से काश्त लगातार 100 वर्षो से शांतिपूर्वक बिना रोकटोक चला आ रहा है तथा उक्त हक व अधिकार जमीन का उपयोग, उपभोग, रहवासीय मकान, मवेशियों के बाड़े व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

र के अधिकार हासिल हो चुके है। बिना वजह सायल शांति भंग न करें। ॉफ कन्वीनियस भी गैर सायलान संख्या 33 से लगाकर गैरसायलान की हक अधिकार जमीन है उसका 38 के पक्ष में उपयोग उपभोग एज राईट कर समें किसी प्रकार बाधा सायल के द्वारा की गयी तो गैरसायलान संख्या 33 से बड़ा भारी नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन रुपयों में भी नहीं आंका जा सकेगा वाले नुकशान की क्षतिपूर्ती होगी किसी भी कदर संभव नहीं है। गैरसायलान 33 से 38 अपूर्णीय क्षति होगी जब सायल गैरसायलान की खुकाश्त जमीन ाजी करेगा, अन्य हाली ऐजेंट नौकर चाकर आदि करवाया तो तीसरा बिन्दू भी गैर न के हक में है। अतः जवाब प्रार्थना पेशकर निवेदन है कि गैरसायलान संख्या े लगाकर 38 खुदकाश्त जमीन के मालिक है तथा उनका वक्त सेटलमेंट से री अधिकार हासिल हुए है तथा सभी गैरसायलान अपने रहवासीय मकान बाड़े, स्थाई तौर अधिवास एज राइट से करते आ रहे है तथा उक्त खातेदारी भूमि का ग उपभोग में बाधा दखलंदाजी सायल स्वयं एवं उसके हाली एजेंट, नौकर चाकर करावें ऐसा आदेश फरमायें तथा सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमावें।

यह कि उक्त जमीन गैरसायलान की खातेदारी की खुदकाश्त जमीन है। र किसी कानून के तहत शाश्वत नाबालिग नही है। वादग्रस्त भूमि सायल मंदिर के बतोर खुदकाश्त दर्ज नही हुई। गैरसायलान रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि के ेदार है। कथित मंदिर को जमीन का मालिक काबिज काश्त कहना बेईमानी है। सायलान बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ बतोर खातेदार दर्ज हुए है तथा उक्त इन्द्राज किसी ार से एब इन्सियोवॉईड नही है। अतः ऐसी भूमि पर रिसीवर नियुक्त नही किया जा कता। गैरसायलान द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है, मकान बने हुए है तथा सिंचाई साधन लगा रखे है। अतः रिसीवर मुकर्रर नही किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण संख्या 10, 25, 27 से 30 व 41 की ओर से जवाब प्रार्थना त्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने बिना किसी ठोस आधार के गलत व झूठा वाद प्रार्थना पत्र पेश किया इस कारण से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कानूनन कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योकि वर्तमान में वाद में व प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा संख्या 29 रकबा 09-09 बीघा कृषि भूमि के उत्तरदाता अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है व मौके पर कब्जा व काश्त है। मौजा जैतारण में खसरा संख्या 29 के रकबे की कृषि भूमि अवश्य आयी हुई है, परन्तु अन्य खसरा संख्या की कृषि भूमि की जानकारी उत्तदाता अप्रार्थीगण की नही है। उक्त खसरा संख्या की भूमि के वक्त सेटलमेंट से पूर्व क्या खसरा संख्या थी जिसकी जानकारी उत्तरदाता अप्रार्थीगण को नही है उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है कब्जा काश्त प्रार्थी का नही है उक्त कृषि भूमि मंदिर नाथद्वारा डोली के नाम की यदि दर्ज है तो वह गलत है तथा उक्त कृषि भूमि के खातेदार उत्तरदाता अप्रार्थीगण ने खसरा [illegible] 29 रकबा 9-09 बीघा की कृषि भूमि का हिस्सा जरिए विक्रय [illegible] राशि देकर क्रय की तथा खरीददारो के नाम जरिए म्युटेशन संख्या [illegible] दिनांक [illegible]8.05.1989 को राजस्व रेकर्ड में नाम विधिवत् व कानूनन दर्ज हुए तथा क्रय की ग[illegible] भूमि पर सन् 1989 से आज दिन तक कब्जा व काश्त अप्रार्थीगण का ही मौके पर है तथा उत्तरदाता अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, अपने अपने हिस्से की खरीद की गई भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग तथा काम में लेते है जब तक बेचाननामा सक्षम न्यायालय से निरस्त नही होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला ...

उत्तरदाता अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार माने जावेगे। प्रार्थना पत्र में वर्णित संख्या 29 की कृषि भूमि मंदिर नाथद्वारा के नाम की वक्त सेटलमेंट में यदि दर्ज वह गलत दर्ज है तथा न ही उसके खातेदार काश्तकार है उक्त कृषि भूमि पर टलमेंट के पूर्व से, पूर्व खातेदार का कब्जा काश्त तथा इसी आधार पर खातेदारान् म राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज हुआ। अप्रार्थीगण मंदिर की काश्त नही करते थे। उक्त कृषि भूमि मंदिर श्रीनाथद्वारा की डोली है ही नही तो नाबालिग तथा इनकी और से काश्त करने का कथन मंदिर द्वारा ही काश्त करना जायेगा के कथन अपने आप में भी गलत होना माना जायेगा वक्त सेटलमेंट र काश्तकार के रूप में कब्जा था इस कारण उनके नाम खातेदारी दर्ज हुई है। कृषि भूमि मिसल बंदोबस्त में यदि मंदिर का नाम तत्कालीन सेटलमेंट के कारियो द्वारा गलत व झूठा दर्ज भी कर दिया गया है तो वह उक्त कृषि भूमि के क नही है तथा उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण ही थे। तथा न ही कृषि भूमि पर प्रार्थी तथा उसके महन्त पुजारी प्रार्थी वादमित्र आदि को उक्त कृषि मौजा जैतारण में कहां स्थित है, न ही उक्त कृषि भूमि पर जिंस बोई है तथा न पिछले 100 वर्षो से इनका नाम गिरदावरी में अंकित है। उक्त कृषि भूमि के खातेदार ो पत्नी हापू, जोगा, गंगा, नारायण पुत्र हापू, सुखा पुत्र करणा, गोरधन, गायडराम घेवर जाति राईका निवासी जैतारण से जरिए विक्रय विलेख के उत्तरदाता अप्रार्थीगण प्रतिफल की राशि देकर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त किया तो फिर सायल रा उत्तरदाता अप्रार्थीगण के लिए उक्त कृषि भूमि से कोई संबंध नही होने से मनगढ्त मायने तथा कपोल कल्पित अंकित किए है। बेचाननामा सन् 1957 का है जिसमें उक्त चाननामे में बेचानकर्ता ने विवादित भूमि पर खातेदार मानते हुए उक्त भूमि का स्तान्तरण किया बैचाननामा वैध्य था। उत्तरदाता अप्रार्थीगण ने रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से उक्त भूमि खरीद से लेकर आज दिन तक भी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार रहे है इस कारण से एक खातेदार को अपनी कृषि भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग काश्त करने रहन बैचान वसीयत आदि करने का पुरा पुरा कानूनी हक व अधिकार है इस कारण इस पद मं अंकित किए गए कथन पूर्णतया गलत है। उक्त बैचान बैचानकर्ता रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी में खातेदार दर्ज थे इस कारण काश्तकारी अधिनियम धारा 39, 40, 41 के तहत अपने अधिकार हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार था बैचान के आधार पर रही म्युटेशन भरा गया था, लैण्ड रिकॉर्ड की धारा 132 के तहत सही स्वीकृत हुआ। उक्त कृषि भूमि मंदिर श्रीनाथद्वारा की है ही नही तो उक्त कृषि भूमि का किसी व्यक्ति को हक हिस्सा व अधिकार नही होने व अप्रार्थीगण के लिए बिना किसी आदेश के राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने खाते में दर्ज करवा ली है के कथन पूर्णतया गलत झूठे व प्रार्थना पत्र करने की गरज से झूठे अंकित किए है। वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तक[illegible]दाता अप्रार्थीगण ही है इसका नाम रेफरेन्स व राजस्व मण्डल से वि[illegible] के नाम दर्ज नही हुआ। खसरा संख्या 29 के रकबे की [illegible]दाता अप्रार्थीगण लगातार बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक 12 वर्षो से अधिक स[illegible] से कब्जा व काश्त है व उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत भी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार काश्तकार है इसलिए उक्त कृषि भूमि विवादग्रस्त भूमि नही है इसलिए उक्त कृषि भूमि को कानूनन भी वास्तविक स्वामी व कब्जेधारी को बेदखल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

ो नियुक्त करना न्यायोचित व न्यायसंगत नही है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि पर 00 वर्षों में कभी किसी को काश्त बोने के लिए नही दी व प्रार्थी ने उक्त कृषि पिछले 100 वर्षो में कभी किसी को काश्त बौने के लिए नही दी व प्रार्थी द्वारा अन्य लोगो को बोने, नष्ट करने आदि के कथन भी पूर्णतया झूठे व काल्पनिक किए है प्रार्थी को कोई जानकारी नही कि कस्बा जैतारण में उक्त कृषि भूमि कहां ; व क्या पडौस है व किन किन व्यक्तियो को कब कब फसल बुवाई के लिए दी। कोई दस्तावेज अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही किया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना मात्र मौखिक कथन ही कर रहे हैं। अन्य कथनों का जवाब दिया जा चुका है। पुनरावृति की है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 15 में दर्ज कथनों का जवाब है कि में वर्णित तमाम तथ्य गलत व झूठे है। प्रार्थी की जब प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि है ही नहीं तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को काश्त नहीं करनें का कहना कब्जा सुपुर्द अल्व्य से काश्त करवाना अप्रार्थीगण के लिए इन्कार होना फसल बुवाई को नष्ट आदि का कथन मात्र यह प्रार्थनापत्र करनें की गरज से गलत व झूठे अंकित किये प्रार्थना पत्र के पद संख्या 16 में दर्ज कथनों का जवाब है कि उक्त भूमि प्रार्थी र की नहीं है तो फिर मंदिर हित के लिये रिसीवर नियुक्त कराये जाने का प्रश्न ही पैदा होता है। उक्त भूमि विवादग्रस्त सम्पति नहीं है बल्कि उक्त भूमि के अप्रार्थीगण खातेदारी की व कब्जा सुदा कृषि भूमि है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 17 का जवाब है प्रार्थी उक्त भूमि न तो खातेदार काश्तकार है और न ही कब्जा है इस कारण से र्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है तथा उत्तरदाता अप्रार्थीगण का नाम रेकर्ड विधिसम्मत् भरा गया। अप्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि खातेदार से खरीद की तथा र्तमान में अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दज्र होने से प्रार्थी न तो घोषणा न ही स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 18 में दर्ज कथन का जवाब है कि उक्त कृषि भूमि पर मौके पर कब्जा व काश्त व उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण कर रहे हैं। यदि किसी खातेदार को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण को असीम नुक्शान होगा जिसका मुल्याकंन रूपये में की नहीं आंका जा सकेगा इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व जमाबन्दी पेश कर अर्ज कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिसिवर प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों के आधार पर मय खर्चा खारिज फरमावें।

वादग्रस्त आराजी की तहसीलदार जैतारण से मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 09.04.2010 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी की मौका फर्द दिनांक 08.04.2010 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण से रामावास [illegible] स्थित है जिसमें खसरा संख्या 476 व 477 के मध्य एक पक्का मकान [illegible]ना अंकित है। कुछ भाग पर चारदीवारी बनी होना तथा शेष भूमि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सु[illegible] गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रारिस्थति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

मम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी मंदिर श्री की ओर से ग्राम जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या नम्बर 29 ाढे नौ बीघा चार बिस्वा आराजी नम्बर 473 रकबा 104 बीघा, आराजी नम्बर कबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 475 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, नम्बर 476 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 477 रकबा 80 बीघा 16 बिस्वा, नम्बर 478 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 479 रकबा 15 बीघा 5 आराजी नम्बर 480 रकबा6 बीघा 18 बिस्वा आराजी नम्बर 28 रकबा 13 कुल किता 10 रकबा 239 बीघा 9 बिस्वा तथा उक्त वर्णित भूमि के साबिक संख्या 10, 10/1, 13 एवं 13/1 होकर कुल रकबा 273-09 बीघा था तथा भूमि का मालिक काबिज प्रार्थी मंदिर नाथद्वारा की डोली दर्ज थी व कब्जेधारी का विपक्षीगण के पूर्वजो का चला आ रहा था। मंदिर प्रतिमाह शाश्वत नाबालिग होती है 2030 तक मंदिर का नाम खाते में लगातार चलता आ रहा है तथा विपक्षीगण कार के रूप में दर्ज थे। उक्त शाश्वत नाबालिग की भूमि मे खातेदारी अधिकार न नही हो सकते तथा यह ट्रांसफरेबल नही होती है। विपक्षीगण द्वारा विधि विरुद्ध से उक्त भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाकर कुछ भाग आगे बैचान भी किया कि एब इन्सियोवॉईड है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में प्रार्थी के कथनो का खण्डन किया ा स्वयं को भू प्रबन्ध से काबिज खातेदार होना कथन किया है तथा वर्तमान में दग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज होना कथन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख खतौनी मौजा स्बा जैतारण परगना जैतारण संवत् 1999 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री ाथदुवारा वाके इलाका मेवाड़ उदयपुर बऐतमाम गोरधनलाल चेलो लिछमनदास रो जात रो ाद बासी नाथदुवारा रो पुजारी के नाम बतोर काबिज दर्ज है। खतौनी बंदोबस्त ग्राम जैतारण संवत् 2011 से 2030 में कॉलम संख्या 2 में भोक्ता के रूप में डोली श्री नाथद्वारा वाके इलाका उदयपुर मेवाड़ बऐतमाम पुजारी गोविन्दलाल चेला गोरधनलाल कौम गुंसाई साकिन नाथद्वारा बतोर डोलीदार दर्ज है, तथा कॉलम संख्या में उपभोक्ता के रूप में केसा वल्द धुला, बंशीलाल वल्द शिवबक्श कौम लुहार, बस्ता वल्द गणेश, भिरदा वल्द सांवल कौम घांची दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2016 ग्राम जैतारण के अनुसार वादग्रस्त आराजी में केसा वल्द धुला, बंशीलाल वल्द शिवबक्श कौम लुहार, बस्ता वल्द गणेश, भिरदा वल्द सांवल कौम घांची एवं भीजा वल्द चौथा कौम खतेड़ कुम्हार साकिन निमाज दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध से पूर्व उक्त आराजी मंदिर श्री नाथद्वारा के काबिज एवं नाम थी। भू प्रबन्ध खतौनी में मंदिर श्री नाथद्वारा डोलीदार दर्ज होगा। उपभोक्ता के रूप में केसा वल्द धुला, बंशीलाल वल्द शिवबक्श कौम लुहार, बस्ता वल्द गणेश, भिरदा वल्द सांवल कौम घांची दर्ज हुआ, उक्त परिवर्तित प्रविष्टियां विधिसम्मत है या नही तथा किसी सक्षम आदेश से दर्ज हुई है [illegible] यह वाद की मुख्य विषयवस्तु है तथा इस स्तर पर इस संबंध में [illegible] कालान्तर में भू अभिलेख अनुसार दर्ज खातेदारान् [illegible] भिन्न बैचान से नामान्तरण दर्ज होकर वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। त[illegible] प्रार्थी का नाम भू अभिलेख से विलोपित है। यह स्वीकृत तथ्य है कि मंदिर या मूर्ति शाश्वत नाबालिग होता है तथा भू प्रबन्ध पूर्व से वादग्रस्त आराजी प्रार्थी शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री नाथद्वारा के नाम दर्ज रही है। तथा शाश्वत नाबालिग की सम्पति न केवल अहस्तान्तरणीय होती है बल्कि ऐसी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

किसी अन्य पक्ष के हक में खातेदारी अधिकार सृजित एवं हस्तान्तरित नही हो अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने से यह बिन्दू पक्ष में निर्णित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध पूर्व जोधपुर कालीन भू अभिलेख एवं खतौनी बंदोबस्त में प्रार्थी शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री रा के नाम दर्ज रही है तथा कालान्तर में उक्त प्रविष्टि विलोपित होकर वर्तमान में गण बतौर खातेदार दर्ज है। नायब तहसीलदार जैतारण की मोका रिपोर्ट दिनांक 4.2010 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में एक पक्का मकान, कुछ भाग पर वारी एवं अभिलेख में दर्ज खातेदारो का कब्जा काश्त व निवास है। अप्रार्थीगण द्वारा फोटो की प्रतियो के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 33, 34, 35 क्के मकान, अन्य कच्चे मकान, कुआं, टयुबवैल, मंदिर, चबुतरा, आम रास्ता एवं खेत भी है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री नाथद्वारा पक्ष में निर्णित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी का वादपत्र शाश्वत नाबालिग मंदिर खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतू जैरकार है, जिसमें प्रबन्ध पूर्व रियासतकालीन भू अभिलेख एवं खतौनी भू प्रबन्ध की प्रविष्टियों के आधार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित हुआ है। लिहाजा यह स्वीकृत तथ्य है शाश्वत नाबालिग होने से ऐसी आराजी का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग भी ऐसे श्वत नाबालिग की ओर से ही किया जाना माना जाता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। प्रार्थी शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री नाथद्वारा की ओर से भू प्रबन्ध पूर्व एवं खतौनी भू प्रबन्ध में अपने नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी जो कि कालान्तर में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। चूंकि प्रार्थी शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं अपने हितो की सुरक्षा करने में असमर्थ है तथा यदि जैरकार वादपत्र की अन्तिम विनिश्चय से पूर्व अप्रार्थीगण जिनका नाम भू अभिलेख में दर्ज है तथा ऐसी भू अभिलेखीय की प्रविष्टियों के आधार पर यदि वादग्रस्त आराजी का आगे रहन, बैचान या हस्तान्तरण किया जाता है जिसकी पूर्ण आशंका है क्योकि पूर्व में ऐसा हुआ है साथ ही यह भी पूर्ण संभावना है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति में परिवर्तन कर या मौके पर कच्चा पक्का निर्माण आदि कर वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर सकते है। जिससे कि प्रकरण में न केवल अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी बल्कि यदि वादपत्र प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हो जाता है ऐसी दशा में अनावश्यक जटिलता के कारण अपूर्णीय क्षति होने की सर्वाधिक संभावना प्रार्थी को ही है। लिहाजा यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 व धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक- 02.04.2007 साबित करने में पूर्णतया सफल रहा हैं, तथा अप्रार्थीगण इसे खण्डित करने में पूर्णतया असफल रहे है, अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने तथा वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण आदि नही करने तथा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

आराजी की वर्तमान मौका स्थित में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करने तथा किसी प्रकार का नवीन कच्चा/पक्का निर्माण आदि नही करने बाबत् अस्थाई से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा। इसी प्रकार प्रार्थी स्तुत द्वितीय प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवरी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी ग्रम सपठित आदेश 40 नियम 01 सी.पी.सी. दिनांक 12.06.2007 भी पूर्णतया के पक्ष में साबित होता है चूंकि प्रार्थी शाश्वत नाबालिग है तथा वह अपने हक एवं की स्वयं रक्षा करने में असमर्थ है साथ ही वादग्रस्त आराजी भू अभिलेख में गण के नाम दर्ज होने जिसे की प्रार्थी द्वारा आरम्भतः शून्य एवं विधिविरूद्ध मानते भू अभिलेख की प्रविष्टियों की सत्यता एवं वैधता को चुनौती देते हुए इन्हे विलोपित एवं स्वयं को खातेदार घोषित करने की मांग की है, वादग्रस्तअ आराजी मौके पर न में अप्रार्थीगण द्वारा उपयोग उपभोग में ली जा रही है तथा भू अभिलेखीय ष्टयो एवं कब्जे का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान, न्तरण आदि भी किया गया है तथा यह भी संभावना है कि मौके पर कच्चे/पक्के र्ण आदि करके वादग्रस्त आराजी का व्ययन किया जा सकता हैं। यदि अप्रार्थीगण को राधीन वादपत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर प्रापक (रिसीवर) के जे में नही दी गई तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित कर सकते है। प्रार्थी श्वत नाबालिग मंदिर श्री नाथद्वारा की ओर से शपथ पत्र पर यह आशंका प्रकट करते वादग्रस्त आराजी को रिसीवरी में लिए जाने बाबत् मांग की है इस प्रकार प्राथी की र्युक्त मांग को हम युक्तियुक्त एवं संदेह से परे मानते है, अतः हस्तगत प्रकरण में दग्रस्त आराजी पर से अप्रार्थीगण को बेदखल करते हुए इसके समुचित संरक्षण एवं बन्धन के लिए प्रापक (रिसीवर) नियुक्त करते हुए प्रापक (रिसीवर) के कब्जे सुपुर्द करवाना विधिसंगत एवं आवश्यक समझते है, हमारा यह भी विनम्र अभिमत है कि चूंकि यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के कुछ भाग पर आवासीय कच्चे/पक्के मकान, पशुबाड़ा, कुआं, नलकुप एवं मंदिर व चबुतरा एवं रास्ता आदि निर्मित है अतः उक्त संरचनाओ के उपयोग उपभोग से संबंधित अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाना विधिसंगत एवं उचित नही होगा। अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादग्रस्त आराजी के ताफैसला वाद समुचित संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण के वास्तविक एवं आत्यंतिक उपयोग उपभोग से संबंधित आवासीय कच्चा/पक्का मकान, पशुशाला, कुआं, नलकुप, मंदिर, चबुतरा एवं इन तक पहुंच के लिए वर्तमान में प्रयुक्त एवं प्रचलित रास्ता की भूमि को छोड़ते हुए शेष सम्पूर्ण रकबा पर से अप्रार्थीगण को बेदखल करते हुए तहसीलदार जैतारण को प्रापक (रिसीवर) नियुक्त करते हुए इसे प्रापक (रिसीवर) के पूर्ण नियंत्रण एवं कब्जे में सुपुर्द किया जाना विधिसंगत एवं आत्यंतिक आवश्यकता है।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र/वादी शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री नाथद्वारा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 व धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 02.04.2007 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 40 नियम 01 सी.पी.सी. दिनांक 12.06.2007 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवरी भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

जैतारण के खसरा संख्या 29 रकबा 09-09 बीघा, खसरा नम्बर 473 रकबा
ीघा, खसरा नम्बर 474 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा
ा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 476 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 477 रकबा 80
6 बिस्वा, खसरा नम्बर 478 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 479
15 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 480 रकबा6 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर
कबा 13 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 239 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। वर्णित
के साबिक खसरा नम्बर 10, 10/1, 13 एवं 13/1 होकर कुल रकबा 273 बीघा
स्वा एवं पश्चातवर्ती भू अभिलेखीय प्रविष्टियों से उपर्युक्त खसरान् एवं इनकी भूमि
र्मित खसरा संख्या एवं उनके रकबा की भूमि यदि कोई हो के वर्तमान भू अभिलेख
इसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण
नही करे, वादग्रस्त आराजी का संपरिवर्तन आदि नही करवाये, वादग्रस्त आराजी की
ान मौका स्थिति एवं स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, वादग्रस्त आराजी
किसी प्रकार का नवीन कच्चा पक्का निर्माण नही करे। उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी पर
र्थीगण के वास्तविक एवं आत्यंतिक उपयोग उपभोग से संबंधित आवासीय कच्चा/पक्का
ान, पशुशाला, कुआं, नलकुप, मंदिर, चबुतरा एवं इन तक पहुंच के लिए वर्तमान में
क्त एवं प्रचलित रास्ता की भूमि को छोड़ते हुए शेष सम्पूर्ण रकबा पर से अप्रार्थीगण
ताफैसला वाद बेदखल करते हुए इसके समुचित प्रबन्धन एवं संरक्षण के लिए
सीलदार जैतारण को प्रापक (रिसीवर) नियुक्त करते हुए इसे प्रापक (रिसीवर) के पूर्ण
यंत्रण एवं कब्जे में सुपुर्द किया जाता है। प्रापक (रिसीवर) को निर्देशित किया जाता है
उपर्युक्त अनुसार वादग्रस्त आराजी पर से अप्रार्थीगण को बेदखल करते हुए इसे
त्काल अपने नियंत्रण एवं कब्जे में ले तथा इसके समुचित संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए
ृषि एवं अन्य प्राकृतिक उपज के लिए इसे जरिए वार्षिक निलामी एकसाला काश्त पर
जावे। निलामी की अंतिम स्वीकृति न्यायालय हाजा से प्राप्त की जावे। अप्रार्थीगण को
बंद किया जाता है कि प्रापक (रिसीवर) तहसीलदार जैतारण एवं इनके निर्देशानुसार एवं
इनकी अनुमति से नियुक्त एवं निर्देशित कार्मिको/अन्य व्यक्ति/ व्यक्तियो के कार्य निष्पादन
में किसी प्रकार की दखल कारित नही करे। तहसीलदार जैतारण एवं प्रापक (रिसीवर) को
पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर
दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)